न्यायालय सह...
पीठा...
प्रकरण सं. : 31
हेमराज पुत्र...

22/05/19 पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उप०। बहस सुनी गई। वकील वादी के लिखित तर्क पेश किये। वाद वादी स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय अलग से लिखाया जाकर शामिल किया गया। वाद पत्र डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

[signature] 22/5/19

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

हेमराज
लीलाराम

Scanned by CamScanner

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी : रामावतार कुमावत, आर.ए.एस.

प्रकरण सं. : 31

दायर दिनांक : 16.02.2018

हेमराज पुत्र सुरजाराम जाति कुम्हार निवासी बीरमाना तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

–वादी

बनाम

राजस्थान सरकार बजरिये प्रतिनिधि भू–धारक तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

–प्रतिवादी

वाद–पत्र अन्तर्गत धारा 88 व 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थित :.

1. श्री भगवान दत्त शर्मा, अभिभाषक वादी
2. प्रतिनिधि राज्य सरकार तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़

निर्णय दिनांक : 22.04.2019

पत्रावली निर्णय हेतु पेश हुई। वादी के अभिभाषक एवं प्रतिनिधि राज्य सरकार उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण के, संक्षेप में, तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी हेमराज द्वारा यह वाद धारा 88 व 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत प्रस्तुत कर कथन किया कि चक 1 बी.एन.एम. तहसील सूरतगढ़ की जमाबन्दी सम्वत् 2070 ता 73 की खाता सं. 63/67 के पत्थर नं. 36/16 के किला नं. 8 ता 13/1.518 है0, 20/0.253 है0, 21/3 में 0.228 है0 = 1.999 है0 कमाण्ड भूमि हंसराज पुत्र सुरजाराम कुम्हार के नाम से दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है जिसमें वादी का नाम हंसराज भूलवश गलत अंकित किया गया है। वादी का सही नाम हेमराज पुत्र सुरजाराम है। अन्य राज्य दस्तावेजों में वादी का नाम हेमराज ही अंकित है। वादी ने अपने वाद–पत्र के साथ जमाबन्दी चक 1 बी.एन.एम., पंचायत समिति के डायरेक्टर व ग्राम पंचायत बीरमाना की सरपंच का प्रमाण–पत्र, राशन कार्ड, आधार कार्ड व पहचान–पत्र की चित्रप्रतियां प्रस्तुत कर चक 1 बी.एन.एम. तहसील सूरतगढ़ की जमाबन्दी सम्वत् 2070 ता 73 की खाता सं. 63/67 के पत्थर नं. 36/16 की 1.999 है0 कमाण्ड भूमि का वादी हेमराज पुत्र सुरजाराम को खातेदार कृषक

क्रमशः ..... पेज 2 पर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

Scanned by CamScanner

घोषित करने व इसी अनुसार उक्त खाते में अंकित हंसराज का नाम कलमजन कर वादी का नाम हेमराज अंकित किये जाने का निवेदन किया।

वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। राज्य पक्ष को नोटिस माह मार्च 2018 में तामील होने पर भी तीन माह में जवाब प्रस्तुत ना करने पर दिनांक 16.01.2019 को राजस्थान सरकार का जवाब बन्द कर साक्ष्य वादी प्राप्त कर तर्क सुने गये।

विद्वान अभिभाषक वादी ने वाद–पत्र में अंकित कथनों को दोहराते हुए वाद के साथ प्रस्तुत साक्ष्य जमाबन्दी सम्वत् 2070 ता 73 चक 1 बी.एन.एम. खाता सं. 63/67 की ओर ध्यान दिलाया एवं अपनी ओर से लिखित तर्क प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाद के साथ प्रस्तुत पंचायत समिति के डायरेक्टर कृष्ण कुमार स्वामी द्वारा जारीशुदा प्रमाण–पत्र दिनांक 20.09.2017 का अवलोकन करवाया जिसमें वादी की फोटो का प्रमाणीकरण करते हुए प्रमाण–पत्र दिया है कि इनका नाम राजस्व रिकॉर्ड में भूलवश हंसराज पुत्र सुरजाराम अंकित हो गया है, जबकि हंसराज पुत्र सुरजाराम ही हेमराज पुत्र सुरजाराम है। इसी प्रकार ग्राम पंचायत बीरमाना की सरपंच श्रीमती संतोष जालप द्वारा जारीशुदा प्रमाण–पत्र का भी अवलोकन करवाया जिसमें जमाबन्दी में भूलवश गलत नाम हंसराज अंकित होना बताते हुए सही नाम हेमराज ही बताया गया है। इसके अलावा स्वयं वादी का राशन कार्ड, आधार कार्ड, मतदाता पहचान–पत्र व वादी स्वयं व वादी के भतीजे के शपथ–पत्रों की ओर ध्यान दिलाकर, वाद पूर्ण रूप से प्रमाणित व सिद्ध होना बताते हुए, वाद स्वीकार किया जाकर चक 1 बी.एन.एम. तहसील सूरतगढ़ की जमाबन्दी सम्वत् 2070 ता 73 की खाता सं. 63/67 के पत्थर नं. 36/16 के किला नं. 8 ता 13/1.518 है0, 20/0.253 है0, 21/3 में 0.228 है0 = 1.999 है0 कमाण्ड भूमि में अंकित हंसराज पुत्र सुरजाराम के स्थान पर हेमराज पुत्र सुरजाराम को खातेदार कृषक घोषित कर इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन करने के आदेश प्रदान करने की प्रार्थना की। राज्य पक्ष की ओर से राज्य हित को सुरक्षित रखते हुए निर्णय किये जाने की प्रार्थना की गयी।

क्रमशः ..... पेज 3 पर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

तर्कों पर मनन किया। तर्कों के परिपेक्ष्य में पत्रावली का मय साक्ष्य गहनता से अवलोकन व पठन करने पर पाया गया कि ग्राम पंचायत सरपंच व पंचायत समिति के डायरेक्टर के प्रमाण–पत्र, वादी स्वयं व वादी के भतीजे के शपथ–पत्रों, परिवार राशन कार्ड, आधार कार्ड, मतदाता पहचान–पत्र से वादी अपने आपको हेमराज पुत्र सुरजाराम कुम्हार सिद्ध करने में पूर्ण रूप से सफल रहा है। प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर वाद वादी स्वीकार किया जाना हम उचित समझते हैं।

उपरोक्त विवेचन अनुसार वाद वादी स्वीकार कर चक 1 बी.एन.एम. तहसील सूरतगढ़ की जमाबन्दी सम्वत् 2070 ता 73 की खाता सं. 63/67 में अंकित पत्थर नं. 36/16 के किला नं. 8 ता 13/1.518 है0, 20/0.253 है0, 21/3 में 0.228 है0 = 1.999 है0 कमाण्ड भूमि का अंकित काश्तकार 'हंसराज वल्द सुरजाराम' के स्थान पर 'हेमराज पुत्र सुरजाराम' को खातेदार घोषित किया जाता है एवं इसी घोषणा के फलस्वरूप तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़ को चक 1 बी.एन.एम. तहसील सूरतगढ़ की जमाबन्दी सम्वत् 2070 ता 73 की खाता सं. 63/67 के कॉलम संख्या 4 में अंकित काश्तकार का नाम 'हंसराज' कलमजन कर 'हेमराज' अंकित किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। शेष अंकन जमाबन्दी बदस्तूर रहेंगे तथा उक्त भूमि के सम्बन्ध में पूर्व में जो समस्त दायित्व 'हंसराज वल्द सुरजाराम कौम कुम्हार सा. बीरमाना' द्वारा देय थे, भविष्य में वो समस्त दायित्व 'हेमराज वल्द सुरजाराम कौम कुम्हार सा. बीरमाना' द्वारा देय होंगे। डिक्री जारी हो। पत्रावली बाद तरतीब तकमील नम्बर से कम कर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 22.04.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (श्रीगंगानगर)

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

Scanned by CamScanner

(आ0 21 रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)

डिक्री बमुकद्दम इब्तदाई

अज अदालत – सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर
बइजलास – रामावतार कुमावत, आर.ए.एस.

अनवान :–

हेमराज पुत्र सुरजाराम जाति कुम्हार निवासी बीरमाना तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.) –वादी

बनाम

राजस्थान सरकार बजरिये प्रतिनिधि भू–धारक तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.) –प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत 88 व 209 आर.टी.ए. मुकदमा नं. 31 वर्ष 2018 यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कितई रूबरू हमारे व हाजिर **अभिभाषक वादी श्री भगवान दत्त शर्मा एवं राज्य सरकार के प्रतिनिधि तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़** के पेश होने पर निम्न प्रकार से डिक्री जारी कर, आदेश प्रदान किये जाते हैं :

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

चक 1 बी.एन.एम. तहसील सूरतगढ़ की जमाबन्दी सम्वत् 2070 ता 73 की खाता सं. 63/67 में अंकित पत्थर नं. 36/16 के किला नं. 8 ता 13/1.518 है0, 20/0.253 है0, 21/3 में 0.228 है0 = 1.999 है0 कमाण्ड भूमि का अंकित काश्तकार 'हंसराज वल्द सुरजाराम' के स्थान पर 'हेमराज पुत्र सुरजाराम' को खातेदार घोषित किया जाता है एवं इसी घोषणा के फलस्वरूप तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़ को चक 1 बी.एन.एम. तहसील सूरतगढ़ की जमाबन्दी सम्वत् 2070 ता 73 की खाता सं. 63/67 के कॉलम संख्या 4 में अंकित काश्तकार का नाम 'हंसराज' कलमजन कर 'हेमराज' अंकित किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। शेष अंकन जमाबन्दी बदस्तूर रहेंगे तथा उक्त भूमि के सम्बन्ध में पूर्व में जो समस्त दायित्व 'हंसराज वल्द सुरजाराम कौम कुम्हार सा. बीरमाना' द्वारा देय थे, भविष्य में वो समस्त दायित्व 'हेमराज वल्द सुरजाराम कौम कुम्हार सा. बीरमाना' द्वारा देय होंगे।

नोज ....×......... मुबलिंग ....×.......... बाबत ....×........... खर्चा इस मुकदमे में मय सूद बशरह ....×............. फसदों की पालना ....×...........आज की तारीख से तारीख वसूल्या वो तक की अदा करें।

बसिव्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक **22.04.2019** को जारी की गई।

22/4/19

उपखण्ड अधिकारी
सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

Scanned by CamScanner